

28/6/18

~~पत्रावली~~ का ज रिगांक का लेख
 अदालत / रूम कर विवेक जयपुर
 में देखा है। पत्रावली उपरि
 उपर पत्रावली का सुनारमा

P.T.O.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

28/6/18

वे पनावली का अवलोकन किया
 गया। इसका पनावली का पत्र
 अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्धित है
 जिसके अनुसार मूलवाद पञ्जाब
 के मध्य विभाजन के सम्बन्धित है
 योंकि पञ्जाब का वर्तमान विवादित
 भूमि के अधिकारदार वास्तविक है
 जिससे मूलवाद में पञ्जाब का
 मुद्दे के पक्ष में शक्तिशाली
 जगह की जा रही है अतः उपरोक्त
 के मूलवाद के निष्पत्ति तब
 जाये अस्थाई निषेधाज्ञा का पक्ष
 किया जाता है कि वे जगह
 सुन्दरपुर तह. आगे जिला जयपुर
 स्थित को पञ्जाब की आ.प.नं.
 17 खका 0.3739 है. के विधि
 मुद्दा का विषय, दस्तावेज आदि
 ना करें तथा मसिव रिपोर्ट की
 पदाति अत्र लगे
 निर्णय सुनाया गया
 पनावली के लक्षणों को
 दूर रखने के लिए
 पूर्ण दायित्व दस्ता है

Hide